कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर, जिला–बस्तर, (छत्तीसगढ़)

ई–प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

Main Protal: http://eproc.cgstate.gov.in

क्रमांक/ 5136 /नपानि/स्थापना/2023 जगदलपुर दिनांक 21/03/2023

नगरपालिक निगम जगदलपुर द्वारा ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म/एजेंसी/कम्पनी/एनजीओ से निम्नानुसार मानव बल उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :–

NIT No.	S.T.No	कार्य का विवरण	निविदा राशि (लाख में)	धरोहर राशि
07	128182	Supply of Manpower (Skilled, Semi Skilled, Un-Skilled) at Municipal Corporation Jagdalpur	436.00	300000.00

निविदा प्रपत्र पर ऑनलाइन वेबसाईट (**Main Protal: http://eproc.cgstate.gov.in**) पर दिनांक 21.03.2023 को सांय 5.30 बजे तक देखे/क्रय एवं निविदा की कार्यवाही किये जा सके हैं । अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा विवरण उपेक्त वेबसाईट एवं निगम के वेबसाईट **www.nagarnigamjagdalpur.in** एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के वेबसाईट **http://uad.cg.gov.in** मे भी देखी जा सकती है। निविदा या निविदा के शर्तें में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में पृथक से समचार पत्र आदि में प्रकाशित नहीं कराया जावेगा । संशोशन का विवरण सिस्टम निविदा एवं उपरोक्त वेबसाईट में देखी एवं प्राप्त की जा सकती है ।

टीप :– निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय करने हेतु सक्षम ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म/एजेंसी/कम्पनी/एनजीओ को उक्त वेबसाईट में पंजीकरण अनिवार्य है।

"स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत निर्माण में योगदान दें"

कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम, जगदलपुर

पृ0 क्रमांक/ 5137 /नपानि/स्थापना/2023 जगदलपुर दिनांक 21/03/2023

प्रतिलिपिः–

1. मान0 महापौर, नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मान0 अध्यक्ष (स्पीकर), नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मान0 सभापति, आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग समिति, नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. नेता प्रतिपक्ष, नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
5. प्रोग्रामर डाटा सेंटर, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग., नया रायपुर की ओर संचालनालय के वेबसाईट में अपलोड कर हेतु अग्रेषित ।
6. सम्पादक/संवाददाता .... समाचार पत्र रायपुर/जगदलपुर । आपके समाचार पत्र में दिनांक .... के अंक में एक बार 2 कॉलम 8 सेमी साईज में एक बार प्रकाशित करवायी जाकर प्रकाशित समाचार की तीन–तीन प्रतियों सहित देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करें ।
7. श्री सुमित महापात्र, जनसंपर्क, नगरपालिक निगम जगदलपुर की ओर शासन के निर्देशानुसार समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु तीन–तीन प्रतियों में प्रेषित है। समाचार पत्र में प्रकाशन उपरांत प्रकाशित समाचार पत्र की दो–दो प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
8. सूचना फलकः– मुख्य कार्यालय/लोक निर्माण शाखा/जलप्रदाय शाखा कार्यालय नगर पालिक निगम जगदलपुर में चस्पा हेतु।

कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम, जगदलपुर

Scanned with CamScanner

MUNICIPAL CORPORATION, JAGDALPUR (C.G.)

OFFICE OF THE COMMISSIONER MUNICIPAL CORPORATION, JAGDALPUR

E-Procurement Tender Notice (IInd Call)
Notice Inviting Tender NIT No. 07 /MCJ/PWD/2023 Dated 17-03-2023

Tenders in Municipal Corporation Jagdalpur Bastar Online (Percentage) are invited through the Municipal Administration and Development Department on behalf of the Municipal Corporation from the registered in e-Procurement of Chhattisgarh. http://eproc.cgstate.gov.in

1	System Tender No.	:-	128182
2	Name of work.	:-	Supply of Manpower (Skilled, Semi Skilled, Un-Skilled) at Municipal Corporation Jagdalpur
3	Probable Amount of Contract (PAC).	:-	Rs. 436.00 Lacs
4	Amount of Earnest Money.	:-	Rs. 300,000/- To be pledged in favour of Commissioner Municipal Corporation Jagdalpur
5	Class of Contractor Eligible to tender.	:-	Open to All
6	Time allowed for completion	:-	01 Year
7	Bank Solvency	:-	Rs. 90.00 Lacs. not older than 12 months. On Bank Letter Pad.
8	Tender Fee	:-	Rs. 15000.00 Only DD To be pledged in favour of Commissioner Municipal Corporation Jagdalpur

1. In order to participate in the tenders floated using the e-Procurement System, all contractors/ bidders are required to get enrolled on the e-Procurement portal (http://eproc.cgstate.gov.in)
2. The bids submitted online should be signed electronically with a Digital Certificate to establish the identity of the bidder bidding online. The registered contractors may obtain information required to issuance of Digital Certificate from e-Procurement system Help Desk, e-Procurement system integrator, M/s. Mjunction Services Limited, Raipur – 492 001 on Toll free 1800 4199140 or email helpdesk.eproc@cgswan.gov.in.
3. Tender Download, Submit Bid Hash online, Submission of Bids, EMD and other Documents and other activities will be governed by the time schedules given under Key Dates.
4. The bids of the contractors have to be digitally signed by the Digital Certificate of the Contractor before submitting the bids online.
5. Conditions related to e-Procurement are furnished in Annexure O of tender document and will overrule other conditions wherever applicable/relevant.
6. The Bidders has to submit (Upload Scan Copies/fill) his offer/credentials online as required in the tender in the online templates in relevant envelopes.
7. The Bidders may refer Help online to perform there online activities.

The bids of the contractors have to be digitally signed by the Digital Certificate of the Contractor before submitting the bids online. All the contractors are required to submit for As per NIT and Tender Documents

The contractors shall also upload the scanned copy of EMD instrument along with other details (Pre-qualification document etc.) during Online Bidding submission Process.

Note: - All eligible/interested contractors are mandated to get enrolled on the eProcurement portal (http://eproc.cgstate.gov.in) in order to download the tender documents and participate in the subsequent bidding process.

Scanned with CamScanner

For any other queries regarding online registration on the above mentioned website and digital certificate, please contact to: Wipro Limited in Consortium with e-Procurement system integrator, M/s. Mjunction Services Limited, Raipur – 492 001 on Toll free 1800 4199140 or email helpdesk.eproc@cgswan.gov.in.

Executive Engineer Mob.- 9827178547

Date-Time Detail(s)

Seq No.	Stage	Date	Time
1	Bid Start Date	21.03.2023	17:30
2	Bid Due Date	10.04.2023	17:30
3	Physical Doc Submission End Dates	11.04.2023	17:30
4	Bid Open Date (Scheduled)	12.04.2023	15:30

Executive Engineer
Municipal Corporation
Jagdalpur (C. G.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर पालिक निगम, जगदलपुर, जिला बस्तर, (छ0ग0)

NIT No. 07 **Date- 17-03-2023**

System Tender No. 128182 (IInd Call)

कार्य का विवरण :-

1	System Tender No.	:-	128182
2	Name of work.	:-	Supply of Manpower (Skilled, Semi Skilled, Un-Skilled) at Municipal Corporation Jagdalpur
3	Probable Amount of Contract (PAC).	:-	Rs. 436.00 Lacs
4	Amount of Earnest Money.	:-	Rs. 300,000/- To be pledged in favour of Commissioner Municipal Corporation Jagdalpur
5	Class of Contractor Eligible to tender.	:-	Open to All
6	Time allowed for completion	:-	01 Year
7	Bank Solvency	:-	Rs. 90.00 Lacs. not older than 12 months. On Bank Letter Pad.
8	Tender Fee	:-	Rs. 15000.00 Only DD

कर्मचारियों का विवरण, योग्यता एवं अनुभव

क्र.	शाखा का नाम	पदश्रेणी	संख्या	योग्यता	रिमार्क
1	लोक निर्माण एवं भवन अनुज्ञा	सुपरवाईजर (समयपाल)	7	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं निर्माण कार्य सुपरविजन कार्य में 03 वर्ष का अनुभव	अर्धकुशल
2	जल कार्य	समयपाल	2	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं निर्माण कार्य सुपरविजन कार्य में 03 वर्ष का अनुभव	अर्धकुशल
		श्रमिक	140	साक्षर	अकुशल
3	विद्युत/यांत्रिकी	इलेक्ट्रीशियन	4	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से इलेक्ट्रिशियल में आई.टी.आई.	कुशल
		श्रमिक	8	साक्षर	अकुशल
		चालक	1	8वीं उत्तीर्ण एवं हेवी मोटर वीकल ड्राईविंग लायसेंसधारी	कुशल
4	सामान्य प्रशासन	कम्प्यूटर आपरेटर	5	हायर सेकेण्डरी परीक्षा एवं मान्यता प्राप्त संस्था/वि.वि. से डी.सी.ए. या पी.जी.डी.सी.ए.	कुशल
		चालक	6	8वीं उत्तीर्ण एवं हेवी मोटर वीकल ड्राईविंग लायसेंसधारी	कुशल
5	उद्यानिकी	माली	1	पांचवी उत्तीर्ण	अकुशल
6	शिक्षा विभाग	कम्प्यूटर आपरेटर	1	हायर सेकेण्डरी परीक्षा एवं मान्यता प्राप्त संस्था/वि.वि. से डी.सी.ए. या पी.जी.डी.सी.ए.	कुशल

Scanned with CamScanner

7	राजस्व विभाग	अतिकमण दस्ता	19	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण	अकुशल
8	आपदा प्रबंधन	चालक	1	8वीं उत्तीर्ण एवं हेवी मोटर वीकल ड्राईविंग लायसेंसधारी	कुशल
9	स्वीमिंग पुल	तैराक प्रशिक्षक (पुरूष)	2	मान्यता प्राप्त संस्था/विद्यालय से तैराक का डिप्लोमा एवं 1 वर्ष का अनुभव	कुशल
		तैराक प्रशिक्षक (महिला)	1	मान्यता प्राप्त संस्था/विद्यालय से तैराक का डिप्लोमा एवं 1 वर्ष का अनुभव	कुशल
		लाईफगार्ड	3	मान्यता प्राप्त संस्था/विद्यालय से लाईफ गार्ड का प्रशिक्षित एवं 1 वर्ष का अनुभव	कुशल
		सुरक्षा गार्ड	4	8 वीं उत्तीर्ण एवं 01 वर्ष का अनुभव	अर्धकुशल
		कम्प्यूटर आपरेटर	1	हायर सेकेण्डरी परीक्षा एवं मान्यता प्राप्त संस्था/वि.वि. से डी.सी.ए. या पी.जी.डी.सी.ए.	कुशल
10	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	श्रमिक (सफाई)	129	साक्षर	अकुशल
		कम्प्यूटर आपरेटर	2	हायर सेकेण्डरी परीक्षा एवं मान्यता प्राप्त संस्था/वि.वि. से डी.सी.ए. या पी.जी.डी.सी.ए.	कुशल
		चौकीदार	3	साक्षर	अकुशल
		सुपरवाईजर	29	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं ऐसे कार्य 03 वर्ष का अनुभव	अर्धकुशल
		चालक	39	8वीं उत्तीर्ण एवं हेवी मोटर वीकल ड्राईविंग लायसेंसधारी	कुशल
		हेल्पर	1	8वीं उत्तीर्ण एवं लाईट मोटर वीकल ड्राईविंग लायसेंसधारी एवं 03 वर्ष का अनुभव	अर्धकुशल
11	जल आवर्धन योजना /अमृत मिशन	वाहन चालक	10	8वीं उत्तीर्ण एवं हेवी मोटर वीकल ड्राईविंग लायसेंसधारी	कुशल
12	ई–गवर्नेस परियोजना एवं वर्ल्ड बैंक परियोजना	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	हायर सेकेण्डरी परीक्षा एवं मान्यता प्राप्त संस्था/वि.वि. से डी.सी.ए. या पी.जी.डी.सी.ए.	कुशल
		योग	420		

Scanned with CamScanner

Date-Time Detail(s)

Seq No.	Stage	Date	Time
1	Bid Start Date	21.03.2023	17:30
2	Bid Due Date	10.04.2023	17:30
3	Physical Doc Submission End Dates	11.04.2023	17:30
4	Bid Open Date (Scheduled)	12.04.2023	15:30

निविदा की नियम एवं शर्ते :–

1. निविदा दर (ई.पी.एफ.+ई.आई.सी.एस.+एजेंसी हितलाभ (सुपरविजन चार्ज)) समस्त कर सहित कलेक्टर जिला–बस्तर जगदलपुर द्वारा निर्धारित मजदुरी दर में प्रतिशत दर दिया जाना अनिवार्य है ।
2. एजेंसी हितलाभ (सुपरविजन चार्ज)) समस्त कर सहित कलेक्टर जिला–बस्तर जगदलपुर द्वारा निर्धारित मजदुरी दर पर ही भुगतान किया जावेगा जिसमें (ई.पी.एफ.+ई.आई.सी.एस.) सम्मिलित नहीं होगा।
3. निविदा खोलने उपरांत प्राप्त न्यूनतम दरदाता से प्राप्त दर में ई.पी.एफ.+ई.आई.सी.एस. +एजेंसी हितलाभ (सुपरविजन चार्ज) का पृथक–पृथक दर की मांग की जावेगी । जिसकी पृथक–पृथक दर की जानकारी 07 दिवस में प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
4. नियम शर्तें का पूर्ण अवलोकन कर ही निविदा में सम्मिलित होवें । निविदा में सम्मलित होने पर सम्पूर्ण शर्तें मान्य समझा जावेगा।
5. प्रथम आमंत्रण निविदा में एकल निविदा प्राप्त होने पर नहीं खोली जावेगी ।
6. सशर्त निविदाऐं मान्य नही होगी।
7. निविदा की दरे स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त का अधिकार नगर पालिक निगम जगदलपुर जिला बस्तर छ0ग0 में विहित होगा।
8. निविदा दाता को ई.पी.एफ. पंजीयन एवं **ESIC** का पंजीयन होना अनिवार्य है ।
9. निविदा से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी हेतु कार्यपालन अभियंता मो. न . 9827178547 एवं स्थापना प्रभारी मो.नं. 9285006115 माध्यम से सम्पर्क कर या निगम कार्यालय में कार्यालयीन दिवस/समय पर देखी जा सकती है ।
10. निविदा में सम्मिलित होने वाले एजेंसी/ठेकेदार का विगत तीन वर्ष में किसी भी एक वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर रू. 05.00 करोड़ से अधिक होना आवश्यक है विगत 3 वर्ष का टर्न ओवर, चार्टड एकाउण्टेंट से सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
11. निविदा कार्यादेश जारी दिनांक से 02.00 वर्ष तक की होगी । प्रथम चरण में कार्य मार्च 2024 तक लिए आबंटित किया जायेगा तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में शेष अवधि का आदेश जारी किया जावेगा । अन्यथा कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर कभी भी निविदा को निरस्त कर जमा अमानत राशि को राजसात किया जा सकता ।
12. अमानत राशि एफ.डी.आर./टी.डी.आर. के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी हो तथा आयुक्त नगरपालिक निगम के पक्ष में देय हो को ही स्वीकार की जावेगी ।
13. निविदा शुल्क रू. 15000.00 का डी.डी. जो आयुक्त नगर निगम को देय हो, जमा करना अनिवार्य है ।
14. निविदा में सम्मिलित होने हेतु निम्नांकित स्वयं सत्यापित दस्तावेज सिस्टम निविदा में अपलोड करना अनिवार्य है । निम्नाकित समस्त दस्तावेज रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित तिथि तक, कार्यालय नगरपालिक निगम, शांती नगर वार्ड, बस स्टैण्ड रोड, जगदलपुर में प्राप्त होना अनिवार्य है ।

Scanned with CamScanner

1. ठेकेदारी पंजीयन/ कम्पनी/फर्म/एजेंसी/एनजीओ होने की स्थिति में पंजीयन की प्रति
2. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन छत्तीसगढ़ में पंजीयन की प्रति
3. ई.एस.आई.सी. में पंजीयन की प्रति
4. अमानत राशि रू. 300,000.00 एफ.डी.आर./टी.डी.आर. के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी हो तथा आयुक्त नगरपालिक निगम के पक्ष में देय हो
5. रू. 90.00 लाख का बैंक साल्वेंसी, 11 माह से अधिक पुराना न हो तथा बैंक के लेटर हेड में जारी हो की प्रति ।
6. पेन कार्ड की छाया प्रति
7. साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र एवं पाटर्नरशीप डीड की प्रति
8. टर्न ओवर की चार्टड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित प्रति
9. जीएसटी पंजीयन की प्रति
10. संलग्न प्रारूप में रू. 100.00 के नॉन ज्यूडिश्यिल स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र
11. निविदा शुल्क रू. 15000.00 का डी.डी. जो आयुक्त नगर निगम को देय हो, मूल प्रति

15. समस्त प्लेसमेंट कर्मचारियों को कार्य अनुसार वर्दी, गमबुट, दास्ताना एवं अन्य आवश्यक उपकरण जो कार्य में आवश्यक हो की व्यवस्था निविदाता को स्वयं के व्यय से करना होगा । इस हेतु निगम द्वारा किसी प्रकार की राशि भुगतान नहीं किया जावेगा ।
16. राज्य शासन के निर्देशानुसार एजेसीयों को प्लेसमेंट कर्मचारियों की उपस्थिति Nishtha App में प्रतिदिन दो बार प्रातः कार्य करने के पूर्व एवं सांय कार्य समाप्ति के उपरांत देना अनिवार्य होगा । जिसका ऑन लाईन उपस्थित को संबंधित विभागीय अधिकारियों के सत्यापन कारायी जाकर देयक भुगतान हेतु निगम के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।
17. वित्तीय स्थिति से सक्षम एजेंसी द्वारा निविदा में भाग लिया जावे । उन्हें प्रति माह 07 तारीख तक समस्त प्लेसमेंट कर्मचारीयों को Nishtha App में उपस्थिति को उस विभाग के सत्यापन अनुसार कर्मचारियों के बैंक खाते में आर.टी.जी.एस./चेक के माध्यम से भुगतान (नकद भुगतान मान्य नहीं किया जावेगा) करने एवं ई.पी.एफ. की राशि उनके EPF खाते में जमा करने के उपरांत पावती की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा । निर्धारित तिथि के बाद भुगतान करने की स्थिति में 0.10 प्रतिशत की दर से प्रति सप्ताह एवं माह में अधिकतम 0.20 प्रतिशत तथा निविदा प्रभावशील होने तक 01 प्रतिशत तक दण्ड प्रभावशील होगा। निकाय द्वारा राशि उपलब्धता के आधार पर भुगतान की कार्यवाही किया जावेगा जो समय सीमा 2 से 3 माह तक भी हो सकती है । परन्तु ठेकेदार को प्रत्येक माह की 07 तारीख तक भुगतान स्वयं के वित्तीय साधनों से किया जाना अनिवार्य रहेगा ।
18. एजेंसी द्वारा कर्मचारियों को वर्तमान में प्रचलित कलेक्टर दर से भुगतान करना होगा तथा समय–समय पर कलेक्टर द्वारा श्रमिकों के पारिश्रमिक भुगतान की दरों में वृध्दि की जाती हैं। अतएव एजेंसी को बढ़ी हुई स्वीकृत कलेक्टर दर की आदेश की प्रति प्रत्येक माह के देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
19. भुगतान की प्रक्रिया प्लेंसमेन्ट एजेंसियों के खाते में नगरीय निकायों द्वारा सीधे आर.टी.जी. एस./चेक हस्तांतरित किया जावेगा। एजेंसी द्वारा भी आर.टी.जी.एस./चेक /ऑन लॉईन ट्रांजेक्शन के माध्यम से संबंधित प्लेसमेंट कर्मचारियों के खाते में उनका पारिश्रमिक राशि जमा/भुगतान करना होगा, नकद भुगतान मान्य नहीं किया जावेगा ।
20. दरे समस्त करों सहित प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नही होगी।
21. एजेंसी को सभी प्लेसमेंट कर्मियों का बीमा स्वंय के व्यय पर करना होगा।
22. प्लेसमेंट कर्मचारियों को उनके मूल कार्य नही होने की स्थिति में अन्य समकक्ष कार्य सौपने पर दायित्य का निर्वहन किया जाना होगा। अन्यथा उस दिन अनुपस्थित मान्य किया जावेगा।

Scanned with CamScanner

23. प्लेसमेंट कर्मचारियों को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करना अनिवार्य होगा । 4 घंटे से कम कार्य करने पर किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा, 4 से 8 घंटे के बीच कार्य करने पर आधे दिन का भुगतान किया जावेगा ।
24. देयक से निम्नानुसार शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर से शासकीय कर/फीस आदि की कटौती किया जावेगा।
25. ठेकेदार को कार्यादेश के 15 दिवस के भीतर श्रम विभाग द्वारा जारी श्रमिक रखने संबंधी लाईसेंस (अनुज्ञप्ति) की सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यालय मे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत नही करने की स्थिति में निविदा स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी। साथ ही श्रम कानून छ.ग. शासन की समस्त शर्तों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
26. संतोषप्रद कार्य नहीं करने वाले प्लेसमेंट कर्मचारियों को कार्यालय से सूचना देने के पश्चात् तत्काल कार्य से पृथक करना होगा।
27. कार्य की आवश्यता तक ही प्लेसमेंट में कर्मचारी रखे जावेंगे, प्लेसमेंट कर्मचारियों को निकाय से कार्य में रखने संबंधी प्रत्यक्ष संबंध नही होगा। उनके द्वारा सम्पादित कार्य के अनुभव को निकाय की किसी भर्ती में प्राथमिकता नही दिया जावेगा।
28. किसी भी प्लेसमेंट कर्मचारी को नगर पालिक निगम जगदलपुर के सहमति के कार्य पृथक नही किया जा सकेगा। साथ ही किसी भी कर्मचारी को बिना अनुमति रखा जाता हैं तो उसके पारिश्रमिक का भुगतान निगम द्वारा नही किया जा सकेगा।
29. रखे गये प्लेसमेंट कर्मचारियों के बैक खाते की छायाप्रति एवं ईपीएफ खाता नम्बर की जानकारी अनिवार्य रूप से स्थापना शाखा एवं लेखा शाखा प्रस्तुत कराना होगा।
30. शहरी निर्धन बीमा (मिनीमाता) योजनांतर्गत या अन्य योजना से समस्त श्रमिकों का बीमा कराना अनिवार्य होगा। किसी भी अप्रिय स्थिति अन्यथा की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। अन्यथा निगम किसी भी प्रकार का जिम्मेदार नही होगा ।
31. सभी प्लेसमेंट कर्मचारियों कों फोटो युक्त परिचय पत्र प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त जिसमें उनका नाम एवं पदनाम, पता, मो.नं. आदि लिखा हो दिया जाना आवश्यक होगा।
32. प्लेसमेंट कर्मचारियों को भुगतान संबंधी विवाद की स्थिति में कलेक्टर, बस्तर द्वारा निर्धारित दर पर समस्त राशि संबंधित प्लेसमेंट कर्मचारी को सीधे भी करने हेतु विभाग सक्षम होगा।
33. शासकीय/अशासकीय/न्यायलय द्वारा क्षतिपूर्ति पारित आदेश का दायित्व एजेंसी का होंगा।
34. कार्य के दौरान किसी प्रकार की घटना/दुर्घटना की स्थिति में समस्त जवाबादारी निविदादाता की होगी । इस पर किसी प्रकार का क्षति, चिकित्सा, मुआवजा आदि का भुगतान निविदादाता को वहन करना होगा ।
35. प्लेसमेंट में प्रदाय किये जाने वाले समस्त कर्मचारी निविदादाता के ही होगें । इस कारण प्लेसमेंट कर्मचारियों का समस्त दायित्वों की जवाबदारी निविदादाता की होगी ।
36. आवश्यकतानुसार प्लेसमेंट कर्मचारियों की संख्या में कमी अथवा वृध्दि की जा सकेगी । बस्तर दशहरा, गोन्चा आदि पर्व एवं अन्य आवश्यक कार्यक्रमों/कार्य हेतु समय–समय पर कर्मचारी की आवश्यकता होने पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा । इस हेतु पृथक से कार्यादश जारी किया जावेगा जो नियत समयावधि के लिए ही होगा ।
37. निविदाकार को छ.ग. श्रम अधिनियम एवं न्युनतम वेतन अधिनियम 1948 में उल्लेखित प्रवधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही आई.पी.एफ द्वारा श्रमिको के हितलाभ संबंधी नियम व उपबंधों का पालन करना अनिवार्य होगा।

Scanned with CamScanner

38. निकाय में प्रचलित छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 राज्य शासन द्वारा पारित आदेश श्रम विभाग आदि के साथ स्वतः लागू रहेगे एवं राज्य /केन्द्र सरकार/श्रम विभाग एवं निगम द्वारा पारित/स्वीकृत आदेश प्रभावशील होगें।
39. विवाद की स्थिति में नगर पालिक निगम प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
40. यह निविदा दरे कार्यादेश दिनांक से 02 वर्ष के मान्य होगा । आपसी सहयोग से आवश्यकतानुसार संशोधन (कम या अधिक) किया जा सकेगा । कार्य संतोषप्रद नही पाये जाने की स्थिति में ठेका निरस्त किया जा सकेगा।
41. ठेकेदार अनुबंध अवधि तक कार्य नही छोड़ सकेगा यदि अनुबंध के बीच की अवधि में कार्य छोड़ा जाता हैं, जो नई निविदा आमंत्रित किये जाने की स्थिति में क्षति राशि की वसूली ठेकेदार से की जावेगी तथा उनकी सुरक्षा राशि राजसात कर ली जावेगी।
42. नगर पालिक निगम द्वारा निर्धारित वाहन वाहन चालक/हेल्पर अपने कार्य में प्रशिक्षित एवं प्रत्येक चालक का ड्राइविंग लाईसेंस सहित उपलब्ध कराना होगा । प्रत्येक वाहन चालक का जीवित हैवी एवं लाईट लाईसेस जमा करना होगा । यदि ड्राईवर के लापरवाही/असावधानी/त्रुटी से घटना/दुर्घटना आदि की समस्त जिम्मेदारी प्लेसमेंट एजेंसी की होगी ।
43. प्लेसमेंट कर्मचारी मद्यपान या किसी प्रकार का नशा या नशीला पदार्थ का सेवन कर आने पर उस दिन का अनुपस्थित किया जावेगा तथा उन्हें कार्य से पृथक करना होगा एवं इससे किसी प्रकार का घटना/दुघर्टना आदि होने पर समस्त जिम्मेदारी प्लेसमेंट एजेंसी की होगी।
44. कम्प्यूटर आपरेटर, सुपरवाईजर, समयपाल कार्य हेतु रखे जाने वाले प्लेसमेंट कर्मचारियों को आवश्यक अर्हता संबंधित उपरोल्लिखित प्रमाण पत्र जमा करना होगा । अन्यथा भले ही उस पद का कार्य लिये जाने पर भी उस पद का भुगतान नहीं किया जावेगा ।
45. प्लेसमेंट कर्मचारियों को सप्ताह में 6 दिवस कार्य करने पर ही सातवें (साप्ताहिक अवकाश रविवार) दिवस का भुगतान किया जावेगा, अन्यथा उपस्थित दिनों के आधार पर भुगतान किया जावेगा । विशेष परिस्थिति पर रविवार को भी कार्य कराया जावेगा जिसका पृथक से भुगतान नहीं किया जावेगा ।
46. उपरोक्त समस्त जानकारी एजेंसी द्वारा प्लेसमेंट में रखे जाने वाले समस्त व्यक्त्यिों को अवगत करना अनिवार्य होगा ।
47. प्लेसमेंट कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल/आंदोलन करने की स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यवश स्थिति निर्मित होने पर इससे निगम के कार्य प्रभावित होने पर पृथक से कर्मचारी उपलब्ध करना होगा अन्यथा इससे निगम को होने वाली क्षति की राशि एजेंसी से वसुलनीय होगा ।
48. प्लेसमेंट कर्मचारी एजेंसी के कर्मचारी होने के कारण हड़ताल/आंदोलन की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदारी एजेंसी की होगी ।
49. शासन द्वारा अतिरिक्त्त श्रमिकों की स्वीकृति प्रदाय करने पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त श्रमिकों की सेवायें स्वीकृत दर पर प्रदाय किया जाना अनिवार्य रहेगा ।
50. निविदा हेतु निर्धारित उपरोक्त तिथियों में कोई तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावें।
51. उपरोक्त कण्डिका क. (01) से (48) की शर्तो का पालन नही करने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकेगी, जिसके लिए कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम

Scanned with CamScanner

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

चेकलिस्ट

निविदा में सम्मिलित होने हेतु निम्नांकित स्वयं सत्यापित दस्तावेज सिस्टम निविदा में अपलोड करना अनिवार्य है :–

1. निविदा दाता को ई.पी.एफ. पंजीयन एवं **ESIC** का पंजीयन होना अनिवार्य है ।
2. ठेकेदारी पंजीयन/ कम्पनी/फर्म/एजेंसी/एनजीओ होने की स्थिति में पंजीयन की प्रति
3. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन छत्तीसगढ़ में पंजीयन की प्रति
4. ई.एस.आई.सी. में पंजीयन की प्रति
5. अमानत राशि रू. 300,000.00 एफ.डी.आर./टी.डी.आर. के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी हो तथा आयुक्त नगरपालिक निगम के पक्ष में देय हो
6. रू. 90.00 लाख का बैंक साल्वेंसी, 11 माह से अधिक पुराना न हो तथा बैंक के लेटर हेड में जारी हो की प्रति ।
7. पेन कार्ड की छाया प्रति
8. साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशीप डीड की प्रति
9. टर्न ओवर की चार्टड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित प्रति
10. जीएसटी पंजीयन की प्रति
11. संलग्न प्रारूप में रू. 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र
12. निविदा शुल्क रू. 15000.00 का डी.डी. जो आयुक्त नगर निगम को देय हो, मूल प्रति

निविदा में सम्मिलित होने वाले निविदादाताओं को उपरोक्त चेक लिस्ट में कंडिकानुसार एवं क्रमानुसार प्रपत्र एवं अभिलेख की PDF में को सिस्टम टेण्डर में अपलोड करना अनिवार्य होगा । उपरोक्त समस्त दस्तावेज रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित तिथि तक, कार्यालय नगरपालिक निगम, शांती नगर वार्ड, बस स्टैण्ड रोड, जगदलपुर में प्राप्त होना अनिवार्य है ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

Scanned with CamScanner